न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामकिशोर बनाम श्रीमती मनीषा मीना उप जिला कलक्टर महवा व अन्य किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण संख्या 03/2026	
21.01.2026	अधिवक्ता प्रार्थी श्री रामावतार बैरवा उपस्थित। प्रकरण, में अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उप जिला कलक्टर महवा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की जाकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 17.02.2026 को पेश हो। [signature] अति0 जिला कलक्टर दौसा	तहरीर 1330 21-01-26
17-2-26	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी नं 2 की ओर से दिनांक 2-2-26 को सुरेशचन्द मीना एड. द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा संलग्न पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20-2-26 को पेश हो। [signature] अति. जिला कलक्टर दौसा	
20-2-26	आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त/अवकाश पर होने से बत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 23-2-26 को पेश हो।	
23-2-26	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 2 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी नं 2 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण निराधार एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर तथा अधीनस्थ ... क्रमशः [signature] अति. जिला कलक्टर दौसा	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को देरी ना करने के उद्देश्य से पेश किया गया है माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को कहीं पर भी स्थानांतरण किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी नं 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अनापत्ति होना व्यक्त करने पर न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा में विचाराधीन मु.नं. 210/2025 दावा एवं मु.नं. 210/2025 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रामकिशोर बनाम हीरालाल को न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में स्थानांतरित किया जाता है। उप जिला कलक्टर महवा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली अविलम्ब न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में भिजवावें। उप जिला कलक्टर सिकराय प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उप जिला कलक्टर महवा एवं सिकराय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 23-2-2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
23/2/2026

अरविन्द शर्मा
अति.जिला कलक्टर
दौसा (राज.)